

तारीख
हुपम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.

शु. अ.

में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि
की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये
रखेगा & अर्थात् उक्त खातों
में दर्ज अपने हिस्से की भूमि
को किसी भी दीगट व्यक्ति
या संस्था से बेचान नहीं
करेगा, न ही रहन करेगा और
न ही लौटा करेगा। पालनार्थ
तहसीलदार को तहरीर जारी की।
पत्रावली फ़ैलल की जाकर
नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ़तर की गयी।
निर्णय लिये इजलास सुनाया गया।

W.

उप जिला कलेक्टर
श्रीधर का दरवाजा

